

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 09/03/2026

संचिका संख्या-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/2007/जे0

बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के परामर्श से जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नांकित स्तम्भ-4 में अंकित अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्तम्भ-2 में अंकित अधिवक्ताओं को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है:-

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	अधिनियम
1	2	3	4
1.	श्री बिनोद कुमार	384 / 2000	लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) (ए0डी0जे0-VI का न्यायालय)
2.	श्री बलराम प्रसाद राय	2354 / 1997	एन0डी0पी0एस0 अधिनियम
3.	श्री कृष्ण देव साहनी	1679 / 1992	निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम
4.	श्री अशोक कुमार सिंह	8705 / 1999	पर्यावरण एवं वन विभाग
5.	श्री पंकज कुमार देव	519 / 1990	मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (कोर्ट सं०-2)
6.	श्रीमती श्वेता कुमारी पोद्दार	1691 / 2012	रेप एवं पॉक्सो (POCSO)
7.	श्री जामुन दास	479 / 1988	अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
8.	श्री राजेश्वर पासवान	47362 / 1981	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
9.	श्री संजय कुमार सिंह	2575 / 2005	दहेज प्रतिषेध अधिनियम

- कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
- इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।
- कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।
- उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संचिका संख्या-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(Signature)
09.03.26

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के सचिव, बिहार।

कृ०पृ०३०

ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- उप सचिव/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 प्रति (सॉफ्ट कॉपी) सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ विधि विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- विद्वान महाधिवक्ता, बिहार एवं माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब विशेष लोक अभियोजक का पद ग्रहण करते हुए राज्य सरकार का पक्ष रखने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा पी0पी0 मैनुअल एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-05/ए0एस0-50-05/2026-विधि/जे0, 2007 पटना, दिनांक-09/03/2026
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल एवं विधि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।